

# कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, चकराता वन प्रभाग, चकराता

पत्रांक:- 2019 / 12-1

चकराता, दिनांक 13, दिसम्बर 2022

सेवा में,

वन संरक्षक,  
यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड,  
देहरादून

विषय :-

जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र चकराता के अन्तर्गत लोखण्डी बुधेर वन मार्ग से ग्राम पंचायत बुल्हाड़ के ग्राम उदावां तक सम्पर्क मार्ग के निर्माण हेतु 3.900 है० वनभूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

(Online no.FP/UK/Road/48173/2020)

संदर्भ:-

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून, भारत सरकार की फाईल संख्या-8बी/यू.सी.पी./06/58/2022/एफ0सी0/783 दिनांक 02.09.2022

महोदय,

उपरोक्त विषयक मोटर मार्ग पर भारत सरकार द्वारा संदर्भित पत्र से लगाई गई आपत्तियों की निराकरण आख्या प्रस्तावक विभाग द्वारा अपने पत्रांक-1861/15सी IV दि० 16.11.2022 से इस कार्यालय को उपलब्ध करा दी गई है। उनके द्वारा उपलब्ध कराई गई अनुपालन आख्या निम्नानुसार प्रेषित है -

क्र०सं०	आपत्ति	निराकरण आख्या
1	The purpose of the proposed road is only to provide connectivity to an isolated village where high volumen of traffic is not expected. Further the road passes through a dense forest. The DFO shall mark the forest roads available in the vicinity of the village to be connected and inform the possibility of using a forest road for providing connectivity to the village.	प्रस्तावित मार्ग का अधोहस्ताक्षरी द्वारा स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि उक्त प्रस्तावित मार्ग को किसी अन्य वन मोटर मार्ग के साथ जोड़ा जाना सम्भव नहीं है। अतः प्रस्तावित मार्ग का निर्माण किया जाना जनहित में आवश्यक है।
2	The State Government shall reassess the proposed width and restrict it to bare minimum requirement which shall not be more than the width of 3 to 4 m.	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा अवगत कराया गया कि पूर्व में लोक निर्माण विभाग में हल्का वाहन मार्ग (चौ०-4.25 है०) के मानक से सड़क का निर्माण किया जाना सम्भव था परन्तु उत्तराखण्ड शासन के निर्देशानुसार वर्तमान में पहाड़ी क्षेत्रों के मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु मानक न्यूनतम चौड़ाई 5.95 है० से कम की प्रस्तावित नहीं की जा सकती है। अतः उपरोक्त प्रस्ताव में मार्ग की चौड़ाई 3 से 4 मी० किया जाना सम्भव नहीं है।
3	Nos of tres affected by the proposal are mentioned as 33 in the tree enumeration list uploaded online. However, number of tres affected are mentioned as 31 trees at para 4 in Part-II. State Government is requested to clarify this discrepancy and submitted/upload the correct information in this regard.	प्रस्तावित मार्ग के समरेखण में कुल 33 वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं (आरक्षित वन भूमि-24 तथा सिविल सोयम भूमि-9)। जिनका उल्लेख प्रस्ताव में किया गया है। वृक्ष की सूची पैरा-4 में ऑनलाईन ठीक कर अपलोड कर दी गई है।
4	NPV is calculated as per old rates. State Government is requested to upload the NPV calculation sheet as per the curren trates.	संशोधित एन०पी०वी० आंकलन भाग-2 के एडिशनल इन्फार्मेशन के क्र०सं०-4 में ऑनलाईन अपलोड कर दिया गया है तथा हार्ड प्रति पत्र के साथ संलग्न है।





dfo\_chakrata\_uta@yahoo.co.in  
टैली, फ़ैक्स नं०-01360-275078

5	The names of the documents uploaded in the in additional documents are not mentioned. Accordingly, names be mentioned.	The names of the documents uploaded in the in additional documents are mentioned. Accordingly, names be mentioned on dated 02.11.2022 by user agency in Part-I.
6	'Work no start' certificated is not found authenticated by DFO. State Government shall upload the 'Work not start' certificate duly authenticated by the concerned DFO.	अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रमाणित 'Work no start' certificate को भाग-2 के एडिशनल इन्फॉर्मेशन के क्र०सं०-2 में ऑनलाईन अपलोड कर दिया गया है तथा हार्ड प्रति पत्र के साथ संलग्न है।

संलग्नक :- उपरोक्तानुसार


भवदीया

  
(कल्याणी)

प्रभागीय वनाधिकारी,  
चकराता वन प्रभाग, चकराता  


संख्या- (1)/ उक्त दिनांकित।

प्रतिलिपि-अधिसासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि०, चकराता को उनके पत्रांक-1861/15सी IV दि० 16.11.2022 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

  
(कल्याणी)

प्रभागीय वनाधिकारी,  
चकराता वन प्रभाग, चकराता  
